09.05.2026

प्रकरण आज दिनांक 09.05.2026 को आयोजित नेशनल लोक अदालत की खंडपीठ क्र.22 के समक्ष पेश।

आवेदिका सहित श्री पी.के. पाठक अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक सहित श्रीमती चंद्रवंशी अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण राशि अदायगी हेतु नियत है।

इसी स्तर पर उभयपक्ष ने उपस्थित होकर आपसी राजीनामा आवेदन पेश किया, अभिलेख पर लिया गया।

आवेदिका ने स्वेच्छयापूर्वक बिना किसी भय, दबाव के राजीनामा होना व्यक्त किया तथा एक साथ निवासरत होना बताया। इस संबंध में आवेदिका के कथन लेख किये गये।

प्रकरण के अवलोकन से प्रकट है कि आवेदिका द्वारा अनावेदक के विरूद्ध भरण–पोषण राशि की वसूली हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया था। आवेदिका की ओर से राजीनामा आवेदन प्रस्तुत करते हुये व्यक्त किया गया है कि अब कोई विवाद शेष नहीं है। वह अनावेदक के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती है।

आवेदिका के द्वारा आपसी सहमति के आधार पर प्रकरण निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। उभयपक्ष मामले के अविलंब निपटारे की सकारात्मक सोच रखते हुए, स्वेच्छयापूर्वक राजीनामा कर, मामले का निराकरण किया जाना व्यक्त किया है। आवेदन लोकनीति के विरूद्ध नहीं है। अतः आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा उक्त आवेदन के आलोक में प्रकरण में कार्यवाही समाप्त की जाती है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।

(प्रदीप पटले) सदस्य, खंडपीठ क्रमांक–22 वारासिवनी, जिला बालाघाट	**(अंकिता जैन)** पीठासीन अधिकारी, खंडपीठ क्रमांक–22 वारासिवनी, जिला बालाघाट

ANKITA JAIN

Digitally signed by ANKITA JAIN
Date: 2026.05.09 05:38:44 +0530